



Neutral Citation No.-2026:AHC:11080

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-1034 वर्ष 2026

कंचन आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: मिथिलेश कुमार शुक्ला

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के अधिवक्ता श्री मिथिलेश कुमार शुक्ला, राज्य के लिए अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राम मोहित यादव को सुना और अभिलेखों पर रखे गए तथ्यों का अवलोकन किया।
3. आवेदक ने मुकदमा लंबित रहने के दौरान धारा 302, 120बी भ०द०वि०, थाना-किरावली, जिला: आगरा के तहत अपराध संख्या-311 वर्ष 2023 में जमानत मांगी है।
4. आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसी तरह के सह-आरोपी व्यक्ति सोनू कुमार को इस न्यायालय द्वारा 2024 के आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-8663 में पारित दिनांक 23.10.2024 के आदेश द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा कर दिया गया है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक 11.11.2023 से जेल में बंद है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि आवेदक की भूमिका सह-आरोपी के समान है, जिसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, इसलिए वह भी समानता के आधार पर जमानत पर रिहा होने की हकदार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा कर दिया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी।



5. जमानत के लिए प्रार्थना का अपर शासकीय अधिवक्ता हालांकि, सह-अभियुक्त के साथ समानता के उपरोक्त तथ्यात्मक पहलू पर उसके द्वारा विवाद नहीं किया गया है।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, पक्षों के अधिवक्ता द्वारा की गई प्रस्तुतियाँ, अभिलेखों पर साक्ष्य, लंबित मुकदमे और इस न्यायालय द्वारा नन्हा पुत्र नभान खा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 1993 क्रि०एल०जे० 938 में पारित निर्णय और पारस राम विश्वाई बनाम निदेशक, केंद्रीय जांच ब्यूरो, मनु/एससीOR/22410/2021 और सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो और अन्य, 2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन एससी 825 के मामले में, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, इस न्यायालय का विचार है कि आवेदक ने समानता के आधार पर जमानत देने के लिए मामला बनाया है। जमानत आवेदन को समानता के आधार पर अनुमति दी जाती है।

7. आवेदक- कंचन, जो उपरोक्त मामले के अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए एक व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अलावा, रिलीज आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाना चाहिए।

(i) आवेदक मुकदमे के दौरान साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देने में की गई टिप्पणियों से गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने में विचारण न्यायाधीश किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा।

जनवरी 16, 2026

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)